

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:- 30/2023

निर्णय दिनांक :-10.10.2023

उनवानी दावा :

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक

-प्रार्थी-

बनाम

बालूराम पुत्र रामचन्द्र कुम्हार निवासी बड़ला

-अप्रार्थी-

उपस्थिति:-

पेरोकार सरकार

श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम


पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी राज्य सरकार का प्रतिनिधि एवं लैण्ड होल्डर (भूमिधारक) होने से प्राथी को वादप्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। वादी लैण्ड होल्डर होने से वादी द्वारा यहा वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि आराजी भूमि खसरा नम्बर 1556 रकबा 0.50 है0 व ख. नं. 1733 रकबा 0.40 है0 कुल रकबा 0.90 है0 है। ग्राम रामथला तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। जिसके अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है एवं अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर केवल कृषि उपज एवं कृषि कार्य के लिए अधिकृत है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी को कृषि प्रयोजनार्थ के अलावा अन्य व्यवसायिक औद्योगिक एवं अन्य कार्य प्रयोजनार्थ कार्य में लेने के लिए अधिकृत नहीं है। अप्रार्थीगण ने उक्त राजस्व खातेदारी आराजियात को कृषि कार्य के लिए उपयोग नहीं कर व्यवसायिक कार्य लाभ के लिए उक्त आराजियात में 0.90 है0 पर ईट भट्टा कार्य किया जा रहा है जिसमें अप्रार्थीगण उक्त आराजी का प्रयोग कृषि प्रयोजनार्थ नहीं करके व्यवसायिक प्रयोग कर रहे है। जिसका उन्हें कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजियत को कृषि प्रयोजनार्थ ही उपयोग कर सकते है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजियत को कृषि कार्य की बजाय व्यवसायिक उपयोग लेने से राज0 काश्तकारी अधिम 1955 की धारा 177 के तहत नियम व शर्तों के अनुबंध का उल्लंघन किया है। इस कारण अप्रार्थीगण के उक्त आराजियात में खातेदारी अधिकारों को समाप्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। भू अभि. नि. मालेड़ा से उक्त आराजियात की मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर भू अभि. नि. मालेड़ा की मौका रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थीगण के उक्त आराजियत पर ईट भट्टा कार्य यह वाद अप्रार्थीगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वाद वर्णित आराजियत ग्राम रामथला पटवार मण्डल मालेड़ा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित होने

के कारण उक्त प्रार्थी का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय प्राप्त है। वाद राज्य सरकार का प्रतिनिधि व लैण्ड होल्डर होने से वादपत्र नियमानुसार बिना कोर्ट फीस के अन्दर मियाद पेश है।

(अ) यह है कि वाद बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण का इस आशय की डिकी फरमाया जावे आराजी खसरा नम्बर 1556 रकबा 0.50 है0, ख. नं. 1733 रकबा 0.40 कुल रकबा 0.90 है0 जो कि वाके ग्राम रामथला पटवार मण्डल मालेड़ा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान मे स्थित है में से कुल रकबा 0.90 है0 भूमि का खातेदारी का अधिकार समाप्त किया जाये एवं भूमि को सिवायचक घोषित कर राजस्व रिकार्ड में सिवायचक इन्द्राज किया जावे । (ब) खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे एवं अन्य दाररसी जो उचित हो अप्रार्थीगण से दिलवाय जाये।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण की ओर से श्री आलोक कुमार शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:- यह कि प्रार्थना पत्र का पेरा नम्बर 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पेरा नम्बर 2 स्वीकार है। अप्रार्थी उक्त आराजीयात पर कृषि कार्य कर रहा है इसके अलावा अन्य कोई व्यवसाय एवं औद्योगिक कार्य नहीं कर रहा है। प्रार्थना पत्र का पेरा नम्बर 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पेरा नम्बर 2 स्वीकार है। अप्रार्थी उक्त आराजीयात पर कृषि कार्य कर रहा है इसके अलावा अन्य कोई व्यवसाय एवं औद्योगिक कार्य नहीं कर रहा है। प्रार्थना पत्र का पेरा नम्बर 3 गलत है, स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी अपनी उक्त वर्णित आराजीयात पर शुरू से ही कृषि कार्य ही कर रहा है और आज भी उक्त आराजीयात पर अप्रार्थी द्वारा फसल काशत कर रखी है। अप्रार्थी उक्त आराजीयात को किसी भी प्रकार से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ काम में नहीं ले रहा है, मोक़े पर किसी प्रकार के ईंट भट्टे चालू अवस्था में नहीं है। केवल फसल ही काशत कर रखी है। आज भी मोक़े पर उक्त वर्णित आराजीयात पर फसल काशत हो रखी है। अप्रार्थी ने राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत किसी भी नियम व शर्त का उल्लंघन नहीं किया है। प्रार्थना पत्र का पेरा नम्बर 4 गलत है, स्वीकार नहीं है। मोक़े पर आज भी उक्त आराजीयात पर फसल काशत हो रखी है। प्रार्थना पत्र का पेरा नम्बर 5 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र का पेरा नम्बर 6 गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र बिना कोर्ट फीस के पेश किया गया है। खारिज होने योग्य है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष पेरा अ, ब गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थी माननीय न्यायालय से अप्रार्थी के विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी उक्त आराजीयात को किसी भी प्रकार से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ काम में नहीं ले रहा है, मोक़े पर किसी प्रकार के ईंट भट्टे चालू अवस्था में नहीं है। केवल फसल ही काशत कर रखी है। आज भी मोक़े पर उक्त वर्णित आराजीयात पर फसल काशत हो रखी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।



तहसीलदार देवली से वर्तमान मौका रिपोर्ट ली गई जो इस प्रकार है:- उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के कम में निवेदन है कि आप द्वारा ग्राम रामथला के आराजी ख. नं. 1556 रकबा 0.50 है व ख. नं. 1733 रकबा 0.40 है कुल रकबा 0.90 है ग्राम रामथला भूमि की वर्तमान मौका स्थिति की रिपोर्ट आप द्वारा चाही गई थी जो पटवारी हल्का मालेका व भू अभि. नि. मालेड़ा से जांच करवाई गई। मुताबिक रिपोर्ट के भूमि ग्राम रामथला की नहीं होकर ग्राम बड़ला की है। मौके पर उक्त ख. नं. 1556 रकबा 0.50 है व ख. नं. 1733 रकबा 0.40 है कुल रकबा 0.90 है दोनों खसरा नम्बरान पर आंशिक भू-भाग पर पक्की ईंटे पड़ी हुई है व खसरा नम्बर 1733 रकबा 0.40 है में 0.02 है झोपड़ी अस्थायी रूप से पक्की ईंटों से बनी हुई है। मौके पर उक्त दोनों खसरा नम्बर पड़त है य पटवारी व भू अभि. निरीक्षक की रिपोर्ट मुताबिक मौके पर किसी प्रकार की जोत व फसल काश्त नहीं है। अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

बहस से पूर्व प्रार्थी द्वारा 50/-के स्टाम्प पर शपथ पत्र पेश किया जिसके तथ्या इस प्रकार है:- बालू पुत्र रामचंद्रा जाती कुम्हार निवासी ग्राम बड़ला तहसील देवली जिला टोंक राज, निवासी कर रुपयपूर्वक बयान करता हूं कि ग्राम बड़ला पटवार हल्का मालेड़ा खसरा न. 1556 रकबा 0.500 है किस्म - बाराणी 1 ख. नं. 1733 रकबा 0.40 है किस्म चाही 1 पर मेने कच्चा आवासीय घर बनाने के लिये मिट्टी डालकर कच्ची ईंटे बनवाई गई थी जो मेने उन कच्ची इटो को हटा ली है। मेरे खसरा न. पर जो झुंगी झोपडिया बनी हुई थी, मेने उन झुंगी झोपडिया को हटा वर्तमान समय में उक्त खसरा न. पर कोई भी कृषि और अकृषि कार्य नहीं हो रहा है


प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार ने बहस में वाद/प्रा. पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वर्तमान में विवादित आराजी पर कोई अकृषि कार्य नही हो रहा है परन्तु जब प्रार्थना पत्र पेश किया तब प्रतीत हुआ था कि इस आराजी व्यवसायिक प्रयोजनार्थ काम में ली जा रही है। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश किया है।

अधिवक्ता प्रतिपक्ष ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को ही दोहराते हुए कथन किया कि वर्तमान मौका रिपोर्ट भी तहसीलदार द्वारा पेश की गई है जिसमें स्पष्ट रूप से अंकन है कि अप्रार्थीगण की विवादित आराजी पर कोई अकृषि कार्य नहीं हो रहा है केवल आंशिक भू-भाग पर पक्की ईंटे पड़ी हुई है। मौके पर दोनो ख. नं. पड़त पड़े हुए है। उक्त रिपोर्ट से जाहिर है कि अप्रार्थी द्वार कोई गैर कृषि कार्य विवादित आराजी पर नहीं हो रहा है। प्रार्थी ने फसल बोन के लिए भूमि को पड़त रख रखी है। अप्रार्थी ने जरिये शपथ पत्र पेश किया है जिसमें प्रार्थी ने अपने हस्ताक्षर बताया है कि मेने कच्चा आवासीय घर बनाने के लिये मिट्टी डालकर कच्ची ईंटे बनवाई गई थी जो मैंने उन कच्ची इटो को हटा ली है। मेरे खसरा न. पर जो झुंगी झोपडिया बनी हुई थी, मेने उन झुंगी झोपडिया को हटा वर्तमान समय में उक्त खसरा न. पर कोई भी कृषि और अकृषि कार्य नहीं हो रहा है। अतः प्रार्थना पत्र/वाद खारिज फरमाया जावे।



पत्रावली का अवलोकन किया। परोकार सरकार व अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार देवली द्वारा पेश वर्तमान मौका रिपोर्ट अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1556 रकबा 0.50 है० व ख. नं. 1733 रकबा 0.40 है० कुल रकबा 0.90 है० पर कोई अकृषि कार्य नहीं होना प्रतीत होता है। अप्रार्थी ने केवल पक्की ईंटे और झोंपड़ी बना रखी है, जिससे यह जाहिर नहीं होता है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी को व्यवसायिक उपयोग हेतु काम में लिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में न्यायाहित व कृषक हित को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 की परिधी के अन्तर्गत नहीं आने से तहसीलदार देवली द्वारा पेश प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


10/10/23
उपखण्ड अधिकारी
देवली